कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सीतापुर

कार्यालय आदेश

प्राइमरी का मास्टर • इन
www.primarykamaster.in
प्रा

पत्रांक / 15590 2018–19 दिनांक 29-08-18

समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी
समस्त विकासक्षेत्र / नगरक्षेत्र
जनपद सीतापुर।

विषय: वरिष्ठता के आधार पर कार्यभार हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

अवगत हो कि आपके विकासक्षेत्र में यदि एक ही तारीख में शिक्षकों ने विद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया हो तो उस परिस्थिति में सबसे वरिष्ठ शिक्षक को विद्यालय का सम्पूर्ण भौतिक एवं वित्तीय प्रभार तत्काल हस्तान्तरित कराना सुनिश्चित करें। ध्यातव्य है कि एक ही तारीख में कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में वरिष्ठता का निर्धारण जन्म तिथि को आधार मानते हुए जिस शिक्षक की जन्म तिथि अधिक हो उसे वरिष्ठतम मानते हुए अग्रतर कार्यवाही की जाय।

29.8.18
(अजय कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सीतापुर

कार्यालय– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शाहजहाँपुर।

पत्रांकःबेसिक / नियुक्ति / 4117-35 / 2018-19 दिनांक– 26-05-18

प्राइमरी का मास्टर •इन
www.primarykamaster.in
प्रा

कार्यालय आदेश

प्रायः जनपद स्तर पर यह शिकायतें प्राप्त हो रही है, कि बेसिक शिक्षा परिषद के अर्न्तगत संचालित परिषदीय प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालय जहाँ प्रधानाध्यापक का पद रिक्त है तथा एक से अधिक सहायक अध्यापक / अध्यापिका कार्यरत हैं, ऐसे विद्यालयों में वरिष्ठ अध्यापक / अध्यापिका प्रभारी प्रधानाध्यापक / प्रभारी प्रधानाध्यापिका न होकर कनिष्ठ अध्यापक / अध्यापिका विद्यालय का प्रभारी प्रधानाध्यापक / प्रधानाध्यापिका हैं। जबकि नियमानुसार वरिष्ठ अध्यापक / अध्यापिका ही विद्यालय का प्रभारी प्रधानाध्याक / प्रधानाध्यापिका होगा / होगी। किसी विद्यालय में एक से अधिक अध्यापक / अध्यापिकाओं ने एक ही तिथि को कार्यभार ग्रहण किया है ऐसी दशा में अधिक आयु वाला अध्यापक / अध्यापिका प्रभारी प्रधानाध्यापक / प्रधानाध्यापिका होगा / होगी। इसी प्रकार किसी विद्यालय में पूर्वान्ह / अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करने की दशा में पूर्वान्ह में कार्यभार ग्रहण करने वाला अध्यापक / अध्यापिका प्रभारी अध्यापक / अध्यापिका होगा / होगी।

अतः समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी,जनपद–शाहजहाँपुर को निर्देशित किया जाता है कि यदि आपके विकास खण्ड में स्थित विधालयों में कार्यरत अध्यापक / अध्यापिकाओं में से किसी कनिष्ठ के पास विद्यालय का प्रभार हो तो तत्काल वरिष्ठ अध्यापक को प्रभार दिलाना सुनिश्चित करें। यदि भविष्य में एक विद्यालय में कार्यरत एक से अधिक अध्यापको में से किसी कनिष्ठ के पास विद्यालय का प्रभार पाया जाता है तो उसके लिए आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें।

26.5.18

(राकेश कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
तद्दिनांक।

पृ0सं0: बेसिक / नियुक्ति / / 2018–19

प्रतिलिपि–निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1– जिलाधिकारी,महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ।
2– सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक) बरेली मण्डल बरेली।
3– समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी,जनपद–शाहजहाँपुर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
शाहजहाँपुर।

कार्यालयः जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर

पत्रांकः बेसिक/विधि/25248-50 /2017–18 दिनांकः 31.03.2017

समस्त खण्ड/नगर शिक्षा अधिकारी,
जनपद सहारनपुर,

आप अवगत है कि दिनांक–31.03.2017 को शैक्षिक सत्र समाप्ति पर कई शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहें है तथा सेवानिवृत्त शिक्षकों में कई प्रधानाध्यापक/ई0 अध्यापक भी है। ऐसी स्थिति में प्र0अ0/ई0अ0 के सेवानिवृत्त होने पर प्र0अ0/ई0अ0 पद का प्रभार नियमानुसार केवल विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक (जनपद स्तर की वरिष्ठता सूची के अनुसार) को ही दिया जाये, किसी भी दशा में कनिष्ठ शिक्षक को विद्यालय का प्रभार न दिया जाये।

(बुद्ध प्रिय सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
सहारनपुर।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक, सहारनपुर मण्डल सहारनपुर।
2– वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, सहारनपुर।

प्राइमरी का मास्टर.इन
www.primarykamaster.in

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
सहारनपुर। 31.03.17

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,बागपत।

पत्रांक/3584-89 /2020–21 दिनांक 25/08/2020

समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी

जनपद बागपत।

विषयः– संविलियन विद्यालयों के वरिष्ठता /प्रभार के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि सविलियन विद्यालयो के वरिष्ठता/प्रभार को लेकर अनेक अपेक्षाये की गयी है जिनके सन्दर्भ में सुस्पष्ट मार्गदर्शन निम्नवत है।

01. अध्यापकों के तीन संवर्ग है (क) सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय (ख) प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय (ग) प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय।

मौलिक नियुक्ति तिथि के तहत वरिष्ठता का निर्धारण उपरोक्त तीनों एक प्रकार के संवर्ग के बीच में ही किया जायेगा।एक संवर्ग की तुलना दूसरे संवर्ग से नही की जायेगी अर्थात जो सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय में कौन वरिष्ठ है इसका निर्णय मौलिक नियुक्ति तिथि से किया जायेगा परन्तु प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक के मौलिक नियुक्ति की तुलना प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक से नही की जायेगी। जिसके सम्बन्ध में आपको पूर्व में भी निर्देश दिये गये है।

पुनः स्पष्ट करना है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक सेवा अवधि मे कनिष्ठ होने के बावजूद प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक से वरिष्ठ होगा।

2. अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण में आये अध्यापक जिस श्रेणी/सवर्ग में जनपद में आयेगे, जनपद में उनकी वरिष्ठता की गणना उनके जनपद में आने की तिथि से की जायेगी न कि उनकी मौलिक नियुक्ति से ध्यान रहे कि अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण से आये अध्यापाके के जनपद बागपत में आगमन की तिथि वो ही होगी जिस दिन इनका सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के यहा से आदेश हुआ है।

3. मृतक आश्रित अध्यापक के सम्बन्ध में उनके मौलिक नियुक्ति तिथि उनके प्रशिक्षण पूरा होने की तिथि से मानी जायेगी।

4. कई अध्यापको में कुछ अध्यापक खासकर महिला अध्यापक वरिष्ठ होने के बावजूद भी सम्मिलित विद्यालय का प्रभार लेने में आनाकानी कर रही है यह स्थिति स्वीकार न की जाये। किसी भी प्रकार की लापरवाही कर रहे शिक्षकों की कार्यवाही प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध करायें।

25.8.2020

(राजीव रंजन कुमार मिश्र),
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बागपत।

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हाथरस।

पत्रांक: एस0एस0ए0/सिविल/संविलियन/ 1011 /2020-21 दिनांक: 30.5.2020

समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी,

जनपद-हाथरस।

विषय- संविलियन विद्यालयों के वरिष्ठता/प्रभार के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि संविलियन विद्यालयों के वरिष्ठता/प्रभार को लेकर अनेक अपेक्षायें की गयी है, जिनके संदर्भ में सुस्पष्ट मार्गदर्शन निम्नवत् हैं।

1. अध्यापकों के तीन संवर्ग है i- सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय ii- प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय iii- प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय।

मौलिक नियुक्ति तिथि के तहत वरिष्ठता का निर्धारण उपरोक्त तीनों एक प्रकार के संवर्ग के बीच में ही किया जायेगा। एक संवर्ग की तुलना दूसरे संवर्ग से नहीं की जायेगी अर्थात जो सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय में कौन वरिष्ठ है इसका निर्णय मौलिक नियुक्ति तिथि से किया जायेगा परन्तु प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक के मौलिक नियुक्ति तिथि की तुलना प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक से नहीं की जायेगी।

पुन: स्पष्ट करना है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक सेवा अवधि में कनिष्ठ होने के बावजूद प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक से वरिष्ठ होगा।

2. अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण में आये अध्यापक जिस श्रेणी/संवर्ग में जनपद में आयेगें, जनपद में उनकी वरिष्ठता की गणना उनके जनपद में आने की तिथि से की जायेगी, न कि उनकी मौलिक नियुक्ति से। सनद रहे कि, अन्तर्जनपदीय ट्रांसफर में आये अध्यापकों के जनपद हाथरस में आगमन की तिथि वो होगी जिस दिन इनका सचिव बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद के यहां से आदेश हुआ होगा।

3. (i) मृतकाश्रित अध्यापक के संबंध में उनके मौलिक नियुक्ति तिथि उनके प्रशिक्षण पूरा होने के तिथि से मानी जायेगी।

4. कई अध्यापकों में कुछ अध्यापक खासकर महिला अध्यापक वरिष्ठ होने के बावजूद भी सम्मिलित विद्यालय का प्रभार लेने में आनाकानी कर रहे है यह स्थिति स्वीकार न की जाये। किसी भी प्रकार की लापरवाही कर रहे शिक्षकों की कार्यवाही प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध करायी जाये।

(मनोज कुमार मिश्र)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,

हाथरस।